

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2020/105

दिनांक:- 12/06/2020

### आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, जयपुर के अधीन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध अनिस्तारित फ्लैट्स, स्वतंत्र आवास, प्लिंथ लेवल के आवास एवं आवासीय भूखण्ड कुल 14 का निस्तारण बुधवार नीलामी उत्साव जरिये ई-सबमिशन (बिना छूट के) के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं.                           | भूखण्ड संख्या   |
|------------------------------------|---|
| जवाहर नगर आवासीय योजना             |   |
| 1.                                 | 2/126 (G+2), 2/447 (G+2), 4/367 (G+2), 4/570 (G+2), C-82 (HIG DUPLEX FLAT) <b>Total-5</b> |
| मालवीय नगर आवासीय योजना            |   |
| 2.                                 | 11/542 (FF), 11/427 (FF), 12/569 (GF), 6/422-A (FF) <b>Total-4</b>                        |
| इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना     |   |
| 3.                                 | 10H/123 (स्वतंत्र आवास), 6MB/373 (स्वतंत्र आवास), 5H/206-D (आवासीय प्लॉट) <b>Total-3</b>  |
| खान भांकरी रोड़ आवासीय योजना, दौसा |   |
| 4.                                 | 1/129 (प्लिंथ लेवल), 1/130 (प्लिंथ लेवल) <b>Total-2</b>                                   |
| <b>Grand Total</b>                 | <b>14</b>   |

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता उक्त फ्लैटों का निस्तारण आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करे :-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।


उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 10/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।



(कश्मी कौर)  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
 सम्पदा प्रबन्धक (मु.)